



राजस्थान RAJASTHAN  
न्याय उपकोषाधिकारी  
रामगंजमण्डी (कोटा)  
07 SEP 2020

:- किराया नामा :-

क्रमांक 13587 R 089436  
दिनांक 24-10-2020



1. श्री चारमुजा निजी औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान चेवट अध्यक्ष चन्द्रशेखर शर्मा उम्र 45 वर्ष आत्मज श्री मोहलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी- चेवट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)  
किरायेदार (पक्षकार नं0 1)  
2. सोभाय्य कुमार उम्र 35 वर्ष आत्मज श्री डॉ0 रामकुमार जी गुप्ता जाति महाजन निवासी- चेवट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) भवन मालिक (पक्षकार नं0 2)

यह कि पक्षकार नं0 1 को श्री चारमुजा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) को संचालन हेतु भवन की आवश्यकता होने के कारण पक्षकार नं0 2 के भवन याके बसा स्टैण्ड चेवट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) कुल एरिया..... वर्गफिट को निम्न शर्तों पर किराये पर लेने का इकरार करता है।

1. यह कि उक्त परिसर की किरायेदारी दिनांक 01/10/2020 को चालू मानी जावेगी तथा किरायेदारी मासिक होगी जो कि प्रत्येक माह की 01 तारीख से शुरू होकर उसी माह की 30 तारीख तक होगी।  
2. यह कि भवन का किराया 30,000/- रु0 अक्षर तीस हजार रु0 मासिक होगा जो कि पक्षकार नं0 1 प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक पक्षकार नं0 2 को चेक द्वारा अदा करेगा।

ATTESTED  
21/10/2020  
G. VERDHAN LAL SONI  
Notary, Ramganjmandi, Distt. Kota

यह कि किराया राशि चेक द्वारा अदा किये जाने पर उसकी रसीद पक्षकार नं0 2 से अवश्य प्राप्त करुंगा  
रसीद के किराया देय नहीं माना जावेगा।

हस्ताक्षर पक्षकार नं0 1  
(किरायेदार)  
*[Signature]*

हस्ताक्षर पक्षकार नं0 2  
(भवन मालिक)  
*[Signature]*

पेज 2 पर

4. यह कि प्रत्येक दो वर्ष में मूल किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी अर्थात् पक्षकार नं० 1 प्रत्येक 2 वर्ष में मूल किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर किराया अदा करेगा।
5. यह कि उक्त भवन में पक्षकार नं० 1 द्वारा किये जाने वाले बिजली, टेलिफोन, पानी आदि के उपभोग का खर्च में स्वयं अलग से अदा करेगा।
6. यह कि उक्त किरायेदारी 5 वर्ष के लिये तय की गई है जो कि 5 वर्ष पश्चात् स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी तथा पक्षकार नं० 1 ने जिस हालत में भवन लिया है उसी हालत में भवन को पक्षकार नं० 2 को सम्पत्ता देगा यदि किरायेदारी आगे बढ़ानी होगी तो पक्षकार नं० 2 की सहमति से किरायेदारी आगे बढ़ाई जा सकेगी।
7. यह कि पक्षकार नं० 1 उक्त भवन में श्री चारभुजा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से शैक्षणिक कार्य करेगा। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करता है तो पक्षकार नं० 2 की इजाजत लेकर कर सकेगा।
8. यह कि उक्त शैक्षणिक कार्य में किसी प्रकार की दुर्घटना आदि होती है तो उक्त समस्त जिम्मेदारी पक्षकार नं० 1 की होगी, पक्षकार नं० 2 का इससे कोई सरोकार नहीं होगा।
9. यह कि यदि पक्षकार नं० 1 लगातार तीन महीने तक किराया अदा नहीं करता है तो पक्षकार नं० 2 को उक्त भवन तुरन्त प्रभाव से पक्षकार नं० 1 से खाली कराने का अधिकार होगा जिसमें पक्षकार नं० 1 को कोई उच्च आपत्ति एतराज नहीं होगा।
10. यह कि उक्त भवन में पक्षकार नं० 1 मांस, मदिरा आदि का बेचान नहीं करेगा संग्रहण नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य को मांस, मदिरा आदि के सेवन की इजाजत देगा।
11. यह कि पक्षकार नं० 1 उक्त भवन में चोरी चकारी का माल नहीं रखेगा और ना ही बेचेगा यदि ऐसा करता पाया जाता है और कोई भी कानूनी कार्यवाही आदि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकार नं० 1 की होगी।
12. यह कि किरायेदारी भवन में बिना पक्षकार नं० 2 के लिखित स्वीकृति के कोई लोड फोड तामीर आदि पक्षकार नं० 1 नहीं करेगा और ना ही भवन को कोई क्षति पहुंचावेगा जिससे कि उसकी वर्तमान शूरत में तब्दीली या उसकी बजारू कीमत में आव आवे ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा।
13. यह कि किरायेदारी भवन में कोई अन्य शिकमी किरायेदार (सबटीनेन्ट) पक्षकार नं० 1 नहीं रखेगा और न ही किसी अन्य प्रकार से इस भवन को किसी अन्य शीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा।
14. यह कि उक्त भवन में पक्षकार नं० 1 कोई आपत्तिजनक व्यवसायिक कार्य नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के शैक्षणिक धातक या विस्फोटक वस्तु ही इस परिसर में नहीं रखेगा।
15. यह कि पक्षकार नं० 1 उक्त भवन में 2 वर्ष में कम से कम एक बार अपनी स्वयं के खर्च पर रंगाई पुताई करवावेगा।

ATTESTED  
21/04/2020  
GOVERDHAN LAL SONI  
Notary, Panagymand, Jaisalmer

हस्ताक्षर पक्षकार नं० 1

किरायेदार

हस्ताक्षर पक्षकार नं० 2


(भवन माली, 3)


पेज 3 पर.

16. यह कि पक्षकार नं० 1 किसी भी प्रकार का न्यूसेस नहीं करेगा और ना ही ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि आस पड़ोस के लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा।
17. यह कि पक्षकार नं० 1 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो यह अनुबंध पत्र निरस्त माना जावेगा तथा पक्षकार नं० 2 को तुरंत प्रभाव से भवन खाली कराने का हक एवं अधिकार होगा।
18. यह कि पक्षकार नं० 1 इस अनुबंध की शर्तों या किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो वो डिफाल्टर माना जावेगा तथा पक्षकार नं० 2 को स्वतः भवन खाली कराकर उसे अपने कर्जों में लेने व अपना ताला लगाने का हक अधिकार होगा तथा इस बाबत पक्षकार नं० 1 किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा याद विवाद कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा।
19. यह कि समय पूर्व पक्षकार नं० 1 उक्त भवन को खाली करता है तो भवन निर्माण में आई लागत का आधा मूल्य पक्षकार नं० 2 को देना होगा।
20. यह कि उक्त किरायेनामा में वर्णित उपरोक्त शर्तों का पालन हेतु दोनों पक्षकार पाबंद एवं बाध्य रहेंगे यदि पक्षकार नं० 1 द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो किरायेनामा स्वतः ही समाप्त माना जाकर उक्त किरायेदारी भवन को तुरंत खाली करवाने तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार पक्षकार नं० 2 को होगा।
21. यह कि उक्त भवन में बिजली पानी टेलीफोन आदि का कनेक्शन लेने पर पक्षकार नं० 2 की पूर्ण सहमति होगी।


तिहाज्जा उपरोक्त किरायेनामा हम दोनों पक्षकारान् की पूर्ण सहमति से राजी खुशी बिना किसी दबाव धोस के आलेखित कर दिया है। जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। इतिदि दिनांक - \_\_\_\_\_

स्थान- रामगंजमण्डी

हस्ताक्षर पक्षकार नं० 1   
(किरायेदार)

हस्ताक्षर पक्षकार नं० 2   
(भवन मालिक)

हस्ताक्षर गवाहान -

1.   
(गौधमदाशाम्)  
3/0 हरेनामोमाम्  
आदि सुधामाम्  
R/02 येना वहेलीमं

2. \_\_\_\_\_

ATTESTED  
  
24  
(GOVERDHANRAJ SONI)  
Notary, Ramganzmandi, Jind KTA  
2020